

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

संख्या: /III-B-2009-2010/SLSA/2025

दिनांकित: अगस्त, 2025

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(ख) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल, 'जिला पौड़ी गढ़वाल' (जिला चमोली के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार) में गठित स्थायी लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(क) की उपधारा (ख) में परिभाषित और अधिसूचित 'लोक उपयोगी सेवाओं' के सम्बन्ध में 'जिला रुद्रप्रयाग' के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा पर अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

आज्ञा से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,

ह0/-

(प्रदीप कुमार मणि)

सदस्य-सचिव

संख्या: 1955 /III-B-2009-2010/SLSA/2025

दिनांकित: 29 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिबन्धक, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, विधायी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, रुड़की-247667, जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, वह उपरोक्त अधिसूचना को अगामी उत्तराखण्ड असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा उक्त गजट की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/रुद्रप्रयाग।
11. गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

Abhishek
29.08.2025

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव